


अनुमण्डल कार्यालय, शेरघाटी(गया)
(कल्याण शाखा)

अल्पकालीन सूचना

बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार पटना के मार्गदर्शिका (पंचम चरण के अनुरूप) शेरघाटी अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत प्रखण्ड-गुरुआ, पंचायत-दुब्बा के विकास मित्र के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाने हैं। आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्रत्येक कार्यदिवस को संबंधित प्रखण्ड-गुरुआ में जमा किया जा सकता है, जो निम्नवत् है :-

क्र० सं०	गतिविधि	अवधि
01	संबंधित प्रखण्ड में आवेदन पत्र प्राप्त करना	दिनांक-10.07.2026 से 16.07.2026
02	मेधा सूची तैयार करना एवं प्रकाशन करना	दिनांक-20.07.2026 से 22.07.2026
03	मेधा सूची पर आपत्ति प्राप्त करना एवं निराकरण	दिनांक-27.07.2026 से 29.07.2026
04	चयन सूची का प्रकाशन	दिनांक-30.07.2026
05	नियोजन पत्र वितरण/शपथ ग्रहण उन्नमुखीकरण	दिनांक-03.08.2026

रिक्तियों की विवरणी :-


क्र० सं०	प्रखण्ड का नाम	रिक्तियों की सं०	पंचायत का नाम	जाति बहुलता	कोटि आरक्षण
01	गुरुआ	01	दुब्बा	भूईयां	सामान्य

चयन हेतु अर्हता :-

1. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। मैट्रिक में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के अनुरूप किया जायेगा तथा समान मेधा अंक रहने पर ज्यादा उम्र रहने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जायेगा। मैट्रिक पास अभ्यर्थी नहीं मिलने पर नन मैट्रिक, नौवीं पास, आठवीं पास, सातवीं पास, छठी पास एवं पांचवी पास का नियोजन किया जा सकेगा।
2. महादलित आवेदक की उम्र दिनांक-01.01.2026 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए।
3. जो पंचायत/नगर पंचायत (वार्ड समूह) जिस जाति के लिए आरक्षित है, उसी जाति कोटि के आवेदक (महिला/पुरुष) द्वारा विकास मित्र के पद पर चयन हेतु आवेदन किया जायेगा।
4. जिस वार्ड समूह (कलस्टर) (ग्रामीण) से विकास मित्र का चयन किया जाना है, वहीं के निवासी से आवेदन प्राप्त किया जायेगा एवं चयन किया जायेगा।
5. किसी भी परिस्थिति में विकास मित्र का चयन उसी रिक्ति के पंचायत से ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में पंचायत के बाहर के आवेदक का चयन किया जायेगा।

चयन प्रक्रिया :-

1. आवेदन विहित प्रपत्र में होना चाहिए। विहित प्रपत्र संबंधित प्रखण्ड कार्यालय एवं आस-पास के फोटो स्टेट दुकान से प्राप्त किया जा सकता है।
2. आवेदन पत्र जमा करने का स्थान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गुरुआ का कार्यालय होगा।
3. आवेदन के साथ आवश्यक अनुलग्नक :-
 - I. शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र (अंक पत्र, विद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र) की सत्यापित छायाप्रति। (राजपत्रित पदाधिकारी या किसी सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित होना चाहिए)
 - II. जाति प्रमाण-पत्र।
 - III. निवास प्रमाण-पत्र।
4. वार्ड कलस्टर में महादलित जाति की बहुलता पहले से निर्धारित है।
5. अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा विकास मित्रों का चयन किया जायेगा।


अनुमंडल पदाधिकारी
शेरघाटी (गया)